रीवा नगर में स्थित चिकित्सालयों में कार्यरत परिचारिकाओं की आर्थिक स्थिति का अध्ययन

डॉ. शालिनी शर्मा
अतिथि विद्वान, समाजकार्य विभाग
अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, रीवा (म.प्र.)

परिचारिका व्यवसायिक संगठनों के माध्यम से नर्सिंग में सम्मानपूर्ण सामाजिक एवं आर्थिक परिस्थितियाँ स्थापित करने एवं बनाए रखने हेतु प्रयास करती है उनका यह कार्य व्यवहार भी समाज में उन्हें सम्मानपूर्ण बनने में सहायक होता है। परिचारिका को अपने व्यवसाय में प्रयोग आने वाले कुछ विधिक सिद्धांतों से परिरित होना चाहिए कानून द्वारा नर्स को कुछ दायित्व सौप गए है। पारिचारिका को एक विधिक योग्यता प्राप्त व्यक्ति के रूप में कार्य करने के लिए लाइसेंस धारक नर्स के रूप में प्रतिष्ठित होना भी सामाजिक दृष्टिकोण का निर्धारण करता है। कानून उन्हें अपने मरीजों के अधिकारों को मान्यता प्रदान करने एवं उन्हें यथा संभव सर्वश्रेष्ठ स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने में सहायता करता है, साथ ही मानवपीय त्रृटि होने पर इसके प्रभावों को सुधारने में सहायता करता है।

विधिक जानकारी उन्हें सम्मानपूर्ण दृष्टिकोण में सहायता करती है। कभी-कभी परिचारिका पर दुःश्चिकित्सा के साथ लापरवाही बरतने का आरोप भी लगाया जा सकता है, यदा-कदा परिचारिका पर अपराधों का आरोप भी लगाया जा सकता उपेक्षा या लापरवाही का अर्थ है कोई ऐसा कार्य करना जो एक विचारवान् एवं विवेकशील व्यक्ति नहीं करता है। दुष्चिकित्सा या दुराचरण किसी व्यवसायिक व्यक्ति पर लागू होने वाले असावधानी या उपेक्षा संबंधी कानून का एक भाग है। उदाहरणार्थ यदि परिचारिका द्वारा कोई गलत दवा दी जाती है तो भले ही वह जानबूझकर न दी गई हो पर यह तथ्य कि परिचारिका दवा के ऊपर लिखा लेवल नहीं पढ़ पाई उसे दुष्चिकित्सा का दोषी ठहरता है परिचारिका यदि दवा देना भूल जाती है तो भी वह दुष्चिकित्सा की दोषी मानी जा सकती है। लापरवाही एक उत्तरदायित्व का आधार तैयार कर सकता है । वह सर्वोच्च स्तर की स्वास्थ्य सेवा-सुश्रुषा बनाए रखनपे के लिए वर्तमान नर्सिंग व्यवसाय के अनुरूप अपने ज्ञान को निरन्तर बढ़ाती रहे सेवा धर्म का बखूबी पालन करने वाली परिचारिकाओं से समाज यही अपेक्षा रखता है कि वह इस कार्य को बिना लापरवाही बरते बहुत ही सावधानीपूर्वक पूरी निष्ठा से करे ।

समाज और परिवार की महत्वपूर्ण इकाई महिलाएँ जो आधी दुनिया के नाम से जानी जाती है के प्रति सामाजिक दृष्टिकोण बहुत समकारात्मक नहीं है। किन्तु उसे सकारात्मक बनाना उनके कार्य और व्यवहार पर निर्भर करता है।

अध्ययन के दौरान महिला परिचारिकाओं ने यह शिकायत किया कि वह जनता की सेवा पूर्ण निष्ठा व लगन से करती है लेकिन समाज द्वारा उन्हें उनके कार्य व्यवहार के आधार पर सम्मान नहीं मिलता जिसकी वह अपेक्षा रखती है, या जो उन्हें प्राप्त होना चाहिए। वे स्वयं की समस्याओं के कारण व्यवसाय का चुनाव करती है फिर भी समाज का दृष्टिकोण आशा के अनुरूप नहीं होतीा बल्कि कहीं न कहीं वह समाज में कारण उनका कार्य के प्रति समर्पण से मन विचलित हो जाता है। मानवता के कारण यह कार्य, जो परिचारिकाएँ पूरे मन व समर्पित भाव से करती हैं, समाज के उपेक्षापूर्ण दृष्टिकोण को कारण उनकी भावनाओं का हनन होता है।

नर्सिंग क्षेत्र में महिलाओं की संख्या में तेजी से हो रही वृद्धि और नर्सिंग व्यवसाय में हो रहे परिवर्तन का श्रेय एक एक दूरदर्शी महिला, (फ्लोरेन्स नाइटेंगल को जाता है इन्हें ''लेडी विद लैम्प'' कहा जाता था) क्योंकि वह मरीजों की देखभाल करने के लिए हमेंशा अपने साथ एक लैम्प लेकर चलती थी जिससे अन्धेरा होने के कारण मरीजों की देख-रेख करने में कोई परेशानी न हो।

नर्सिंग एक ऐसा पेशा है, जिसे अब तक सही ढंग से नहीं समझा गया । अक्सर लोग इसे दोयम दर्जे का पेशा मानते है। ज्यादातर लोगों का मानना है इस पेशे में वही लड़कियाँ या महिलाएँ आती है, जो चिकित्सा के क्षेत्र में जुड़ना तो चाहती हैं लेकिन उनमें चिकित्सक बनने की काबिलियत नहीं होती। इसी गलत धारणा का नतीजा है कि देश में नर्सिंग स्टडीज के लिए आरक्षित सीटों में से ज्यादातर सीटे हर साल रिक्त रह जाती हैं।

लेकिन अब माहौल बदल रहा है। प्राइवेट मल्टीनेशनल हास्पिटल ब्रान्ड्स फार्मा कम्पनियों और सरकारी हेल्थ केयर सिस्टम के विकास के साथ यहाँ नर्सों की माँग में भी इजाफा हुआ है। इस बारे में पी.डी. हिन्दुजा कालेज ऑफ नर्सिंग की प्रिन्सिपल जया कुरुविला का कहना है, आज देश में प्रति हजार मरीजों पर २./२ नर्स होने के स्थान पर महज एक नर्स है। ऐसा सिर्फ भारत में ही नहीं है। ब्रिटेन, आयरलैण्ड और अमेरिका के अलावा खाड़ी देषो में भी नर्सों की काफी कमी है। यू. एस. ब्यूरो ऑफ लेबर स्टेटिस्टिक्स का अनुमान है कि वर्ष २०१६ तक अमेरिका में १०००००, से ज्यादा नर्सों की माँग होगी। वास्तविकता यह है कि नर्सिंग सेवा भाव से जुड़ा पेशा है जिसके लिए एनाटामी, फिजियोलाजी, जेनेटिक्स, बायोकेमिस्ट्री, न्यूट्रीशन और साइकोलॉजी जैसे हेल्थ, साइन्स से जुड़े विषयों की बुनियादी जानकारी जरूरी होती है।

निजी चिकित्सालयों की संख्या मे वृद्धि के कारण प्रशिक्षित परिचारिकाओं की आवश्यकता में भी वृद्धि हुई है। इन आवश्यकताओं को देखते हुए सन् २००८ में रीवा नगर में सौदामिनी इन्स्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग एण्ड रिसर्च सेन्टर की स्थापना की गई। यह संस्थान इंडियन नर्सिंग कॉसिल नई दिल्ली, गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश मेडिकल डिपार्टमेंट एवं गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश हायर एजूकेशन डिपार्टमेंट द्वारा मान्यता प्राप्त है, तथा अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय से संबंद्ध है। यहाँ परिचारिकाओं के प्रशिक्षण की समुचित व्यवस्था है।

शोध प्रविधि-

अध्ययन क्षेत्र रीवा नगर में गांधी मेमोरियल एवं संजय गांधी चिकित्सालय के अन्तर्गत शासकीय नर्सिंग ट्रेनिंग संस्थान संचालित है जहाँ पर लगभग २०० से ३०० परिचारिकाएँ प्रति वर्ष प्रशिक्षित होती हैं। इन्हीं परिचारिकाओं में शोधार्थी ने ५० परिचारिकाओं को अपने अध्ययन में सम्मिलित किया है। प्रस्तुत शोध पत्र में साक्षात्कार विधि को अपनाकर अध्ययन पूर्ण किया गया है।

रीवा नगर की परिचारिकाओं की सामाजिक-आर्थिक स्थिति में कॉफी सुधार हुआ है समय के साथ हो रहे सामाजिक स्थिति में सुधार का परिचारिकाओं पर क्या प्रभाव पड़ा इसका आंकलन करने के लिए उत्तरदाताओं से प्राप्त विचार उत्साहवर्धक रहे तथा परिचारिकाओं की सामाजिक स्थिति में सुधार की स्वीकारोक्ति के संदर्भ में मिले विचार निम्न सारणी में प्रदर्शित है-

सारणी क्रमांक ०१

परिचारिकाओं की सामाजिक स्थिति में सुधार

क्रमांक	विवरण	संख्या	प्रतिशत
१	सुधार हो रहा है	४०	८०.००
२	सुधार नहीं हो रहा है	०२	०४.००
३	कहा नहीं जा सकता	०८	१६.००
	योग	५०	१००.००

स्रोत-व्यक्तिगत सर्वेक्षण

उपरोक्त सारणी से स्पष्ट होता है कि ८०.०० प्रतिशत परिचारिकाओं का मानना है कि उनकी सामाजिक स्थिति में सुधार हुआ है, जबकि उनकी ०४.०० प्रतिशत परिचारिकाओं का मानना है कि यथार्थ में कोई सुधार नहीं हो रहा है इसी कड़ी में १६.०० प्रतिशत परिचारिकाएँ उनकी सामाजिक स्थिति में हो रहे सुधार के संदर्भ में कुछ करने की स्थिति में असमर्थ पाई गई।

सारणी क्रमांक ०२

अध्ययनरत परिचारिकाओं की आय के अन्य साधन

क्रमांक	आय के अन्य साधन	संख्या	प्रतिशत
१	कृषि	३६	७२.००
२	व्यापार	०३	०६.००
३	नौकरी	०९	१८.००
४	अन्य	०२	०४.००
	योग	५०	१००

स्रोत–व्यक्तिगत सर्वेक्षण

परिचारिकाओं की आर्थिक स्थिति का अध्ययन करने पर निजी सर्वेक्षण द्वारा प्राप्त जानकारी के आधार पर यह पाया गया कि उनका परिवार अन्य आय के साधनों के अन्तर्गत ७२.०० प्रतिशत कृषि, ०६.०० प्रतिशत व्यापार, १८.०० प्रतिशत नौकरी तथा ०४.०० प्रतिशत अन्य आय के साधन है।

सारणी क्रमांक. ०३

परिचारिकाओं की मासिक आय का स्तर

क्रमांक	आय का स्तर	संख्या	प्रतिशत
१	१०००० से २००००	२४	४८.००
२	२०००० से ३००००	१५	३०.००
३	३०००० से अधिक	११	२२.००
	योग	५०	१००

स्रोत–व्यक्तिगत सर्वेक्षण

उपरोक्त सारणी से स्पष्ट है कि ४८.०० प्रतिशत परिचारिकाओं की मासिक आय १०००० से २००००, ३०.०० प्रतिशत की २०००० से ३००००, २२.०० प्रतिशत की ३०००० से अधिक है।

शासकीय चिकित्सालयों में कार्यरत परिचारिकाओं की आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ है। शासन द्वारा विगत दशकों के अपेक्षा उनके वेतन में वृद्धि हुई है। प्रतिवर्ष बतौर इन्क्रीमेंट वेतन लाभ २४०.०० रू. दिया जाता है अतः शासकीय चिकित्सालयों में कार्यरत अधिकांश परिचारिकाएँ अपनी आर्थिक स्थिति से संतुष्ट पाई गई।

अशासकीय चिकित्सालयों में कार्यरत अधिकांश परिचारिकाएँ प्रशिक्षित नहीं होती अतः उनका वेतन उनके कार्यनुभव के अनुसार निर्धारित होता है। प्रतिवर्ष उन्हें पुरस्कार स्वरूप कुछ उपहार मिलता है। किन्तु कम वेतन होने के कारण कुछ परिचारिकाएँ अपनी आर्थिक स्थिति से असंतुष्ट पाई गई। जिसका विवरण निम्न लिखित सारणी में दर्शाया गया है–

क्रमांक ०४

परिचारिकाओं की वेतन संबंधी संतुष्टि का विवरण

परिचारिकाओं की संख्या	शा. चिकित्सालय		आशा. चिकित्सालय	
	संतुष्ट	असंतुष्ट	संतुष्ट	असंतुष्ट
५०	२० (४०:)	०५ (१०:)	१५ (३०:)	१० (२०:)

स्रोत–व्यक्तिगत सर्वेक्षण

शासकीय चिकित्सालयों में कार्यरत परिचारिकाओं से साक्षात्कार के द्वारा वेतन संबंधी यह जानकारी प्राप्त हुई कि ४०.०० प्रतिशत परिचारिकाएँ संतुष्ट तथा १०.०० प्रतिशत परिचारिकाएँ असंतुष्ट है। अशासकीय चिकित्सालयों की ३०.०० प्रतिशत परिचारिकाओं ने संतुष्टि व्यक्त की एवं २०.०० प्रतिशत परिचारिकाओं ने असंतोष व्यक्त किया।

परिचारिकाओं की समस्याएँ –

सामान्य रूप से श्रम से तात्पर्य उस प्रयास से है जो किसी कार्य को सम्पन्न करने के लिए किया जाता है आशय यह है कि श्रम का संबंध कार्य से है भले ही वह शारीरिक हो अथवा मानसिक किन्तु वह कार्य आर्थिक दृष्टिकोण से किया गया हो जिसके बदले में वस्तुओं व धन की प्राप्ति हो। जैसा कि जे.बी. क्लार्क ने कहा है कि परिश्रमिक पाने की आशा से किए जाए। स्पष्ट है कि श्रम के अन्तर्गत मानवीय क्रियाओं को ही शामिल किया जा सकता है परंतु उन क्रियाओं को तभी श्रम माना जा सकता है जब उसके फलस्वरूप कुछ कार्य संभव हो"। अर्थात श्रम के द्वारा धन की प्राप्ति तो होती ही है साथ में श्रम व्यक्ति को सुख व संतोष भी प्रदान करता है। प्रत्येक व्यक्ति को अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु कुछ न कुछ कार्य अवश्य करना पड़ता है किन्तु आज मनुष्य की आवश्यकताओं का क्षेत्र अत्यधिक विस्तृत है, यही वजह है कि व्यक्ति को अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अनेकों कार्य करने पड़ते हैं अतः कार्य उद्देश्यों की पूर्ति का एक साधन भी है कार्य का अभिप्राय कुछ करते रहने से ही नहीं बल्कि धन प्राप्ति से भी है।

जहाँ तक महिला श्रम का प्रश्न है, पृथ्वी पर जीवन की शुरूआत से ही महिलाए भी पुरूषों के समान आर्थिक क्रियाकलापों में भाग लेती रही है। आदिकालीन समाज में श्रम विभाजन लैंगिक भिन्नता पर आधारित था।

जनसंख्या का घनत्व अत्यन्त कम होने के कारण श्रम विभाजन अत्यंत सरल एवं यांत्रिक प्रकार का होता था। प्रत्येक व्यक्ति अपनी समस्त आवश्यकता की पूर्ति स्वयं ही करता था जब पुरूष जंगलों में जाकर शिकार करते थे महिलाए गृह कार्य करती थी कृषि स्तर में महिलाओं द्वारा बीज बोने या काटने आदि के कार्यों में पर्याप्त सहयोग दिया जाता था। किन्तु उस समय जनसंख्या की अत्यधिक कमी की वजह से महिलाओं द्वारा किया जाने वाला श्रम कुछ विशिष्ट कार्यों तक ही सीमित था।

निष्कर्ष–

अध्ययन से प्राप्त निष्कर्ष के अनुसार ८०.०० प्रतिशत परिचारिकाओं का मानना है कि उनकी सामाजिक स्थिति में सुधार हुआ है, जबकि उनकी ०४.०० प्रतिशत परिचारिकाओं का मानना है कि यथार्थ में कोई सुधार नहीं हो रहा है इसी कड़ी में १६.०० प्रतिशत परिचारिकाएँ उनकी सामाजिक स्थिति में हो रहे सुधार के संदर्भ में कुछ करने की स्थिति में असमर्थ पाई गई। आय के अन्य साधनों के अन्तर्गत ७२.०० प्रतिशत कृषि, ०६.०० प्रतिशत व्यापार, १८.०० प्रतिशत नौकरी तथा ०४.०० प्रतिशत अन्य आय के साधन है। ४८.०० प्रतिशत परिचारिकाओं की मासिक आय १०००० से २००००, ३०.०० प्रतिशत की २०००० से ३००००, २२.०० प्रतिशत की ३०००० से अधिक है।

शासकीय चिकित्सालयों में कार्यरत परिचारिकाओं की आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ है। शासन द्वारा विगत दशकों के अपेक्षा उनके वेतन में वृद्धि हुई है। प्रतिवर्ष बतौर इन्क्रीमेंट वेतन लाभ २४०.०० रू. दिया जाता है अतः शासकीय चिकित्सालयों में कार्यरत अधिकांश परिचारिकाएँ अपनी आर्थिक स्थिति से संतुष्ट पाई गई। ४०.०० प्रतिशत परिचारिकाएँ संतुष्ट तथा १०.०० प्रतिशत परिचारिकाएँ असंतुष्ट है। अशासकीय चिकित्सालयों की ३०.०० प्रतिशत परिचारिकाओं ने संतुष्टि व्यक्त की एवं २०.०० प्रतिशत परिचारिकाओं ने असंतोष व्यक्त किया है।

संदर्भ–

१.शासकीय एवं अशासकीय नर्सिंग महाविद्यालय का प्रतिवेदन।
२.जे.एम. कपूर–शोध प्रविधि, जय प्रकाशन आगरा
३.भगवानदीन उपाध्याय–भारत की सामाजिक समस्याएँ